



उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक परिसर, सुद्धोवाला, पो0 वन्दनवाड़ी (प्रेमनगर) देहरादून।

दूरभाष :- 0135-2770126 टेलीफैक्स 0135-2770124. कार्यालय वेबसाइट www.uktech.in

2011-12

वित्त समिति की नवम् बैठक दिनांक 29.04.2011 का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय वित्त समिति की नवम् बैठक दिनांक 29.04.2011 (शुक्रवार) को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कार्यालय कक्ष, सुद्धोवाला, (देहरादून) में मा० कुलपति महोदय, की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित महानुभावों ने प्रतिभाग किया:-

- | | |
|--|------------|
| 01- प्रो० डी०एस० चौहान,
कुलपति,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, | अध्यक्ष |
| 02- प्रो० एच०सी० नैनवाल,
प्रति कुलपति,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, | सदस्य |
| 03- श्री आर०सी० शर्मा,
संयुक्त सचिव (वित्त),
प्रतिनिधि वित्त विभाग, | सदस्य |
| 04- डॉ० जी०एस० रजवार,
रूप-निदेशक (उच्च शिक्षा)
प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग, | सदस्य |
| 05- श्री चन्द्र सिंह मेहता,
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, | सदस्य |
| 06- श्री प्रमोद कुमार जोशी,
वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, | सदस्य सचिव |

बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार विनिश्चय (निर्णय) लिये गये :-

एजेण्डा बिन्दु 01-

दिनांक 16.11.2010 को सम्पन्न वित्त समिति की अष्टम बैठक की कार्यवाही एवं कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।

विनिश्चय:-

वित्त समिति ने सर्वसम्मति से वित्त समिति की अष्टम बैठक दिनांक 16.11.10 की सम्पुष्टि की तथा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पॉलीटेक्निक परिसर सुद्धोवाला में आबटित भवनों पर कृत पुर्नसुधार/मरम्मत कार्यों के शेष भुगतान से पूर्व उनकी एम0बी0/सत्यापन/प्रदत्त अग्रिम के सापेक्ष समायोजन लेखा/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की औपचारिकता पूर्ति अवश्य की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु 02-

शासन द्वारा सुद्धोवाला में विश्वविद्यालय के परिसर हेतु आबटित भूमि 8.372 हेक्टेयर में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों की बाढ़ सुरक्षा हेतु शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत निर्माण कार्य रू0 130.81 लाख के स्थान पर सिंचाई विभाग से प्राप्त बाढ़ सुरक्षा कार्य के प्रांकलन रू0 159.34 लाख पर प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

इस क्रम में शासन के पत्रांक 1403/XXIV (8)/2010-85/10 दिनांक 15.11.10 (परिशिष्ट-‘क’) के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उ0ख0 से उ0प्र0रा0निनि0 के माध्यम से कार्य आरम्भ कराने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी जिस पर उनके विभागीय पत्र सं0 5543/लखवाड-1एफ0-1 बाढ़ दिनांक 08.10.10 (परिशिष्ट-‘ख’) अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न कर इसके स्थान पर बाढ़ सुरक्षा कार्य योजना/विस्तृत प्रांकलन रू0 159.34 लाख का गठित कर विश्वविद्यालय को भेजा गया है। तदनुसार शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत प्रांकलन के स्थान पर सिंचाई विभाग से प्राप्त प्रांकलन रू0 159.34 लाख शासन की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्रांक 8191/स0ले0/बाढ़ सुरक्षा कार्य-12/10-11 दिनांक 17.03.11 (परिशिष्ट-‘ग’) द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्तावित कार्य पर व्यय विश्वविद्यालय के संसाधनों से वहन किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय:-

इस प्रकरण पर गहन विचार विमर्श के बाद वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्तानुसार प्रस्तावित कार्य योजना रू0 159.34 लाख की शासन को प्रेषित प्रांकलन पर टी0ए0सी0 से परीक्षण उपरान्त तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्ति पर ही योजना पर सिंचाई विभाग के माध्यम से कार्य आरम्भ कराकर आगामी बरसात से पूर्व ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इस क्रम में शासन के पत्रांक 1403/XXIV(8)/2010-85/10 दिनांक 15.11.10 द्वारा पूर्व स्वीकृत प्रांकलन रू0 रू0 130.81 लाख के निरस्तीकरण की संस्तुति करते हुये वित्त समिति द्वारा अपेक्षा की गयी है कि इसका अनुमोदन शासन से भी प्राप्त किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 03-

सुद्धोवाला में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन पर कार्यदायी संस्था द्वारा 31.03.11 तक के लिए मांगे गये अतिरिक्त अग्रिम रू0 5.00 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2010-11 हेतु पूर्व स्वीकृत बजट के कम पूरक बजट धनराशि रू0 250.00 लाख का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

वित्त समिति की विगत बैठक में पारित आय-व्ययक अनुमान वित्त वर्ष 2010-11 की मद सं0 16-विकास मदों में व्यय (10-भवनों का निर्माण) मद में रू0 15.00 करोड (रू0 पन्द्रह करोड मात्र) व्यय अनुमानित/वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था किन्तु निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन हेतु निर्धारित बार चार्ट के सापेक्ष अधिक प्रगति तथा समझौता ज्ञापन की संगत शर्तों एवं भवन की आवश्यकता के दृष्टिगत वित्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा कार्यदायी संस्था से अग्रेत्तर अग्रिम रू0 5.00 करोड की मांग के सापेक्ष मा0 कुलपति महोदय द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 हेतु रू0 2.50 करोड अग्रेत्तर अग्रिम कार्यदायी संस्था को प्रदत्त किये जाने हेतु दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में बैंक सं0 995484 व सं0 000451 दिनांक 25.02.11 धनराशि रू0 2.50 करोड (टी.डी.एस सहित) भुगतान किया जा चुका है। तदनुसार वर्ष 2010-11 हेतु अनुमोदित बजट रू0 15.00 करोड के स्थान पर रू0 17.50 करोड का प्राविधान पुनरीक्षित आय व्ययक विवरण (परिशिष्ट-‘घ’) में प्रस्तुत है। तदनुसार प्रारम्भ से अबतक इस परियोजना पर रू0 19.50 करोड की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत प्रांकलन रू0 2220.52 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को प्रदत्त की जा चुकी है। अतः उक्त वर्णित मद में अनुपूरक धनराशि रू0 2.50 करोड कार्यदायी संस्था को प्रदत्त किये जाने की कार्यत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय:-

विगत वित्त वर्ष 2010-11 हेतु वित्त समिति द्वारा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन के निमित्त अनुमोदित परिव्यय रू0 15.00 करोड के स्थान पर कार्यहित/सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति के दृष्टिगत कृत वास्तविक व्यय रू0 17.50 करोड पर कार्यत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदत्त की गयी। उक्त के साथ साथ वित्त समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जबतक उक्त प्रशासनिक भवन के पुनरीक्षित प्रांकलन पर शासन से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती तबतक उक्त वर्णित निर्माणाधीन भवन पर अग्रेत्तर अग्रिम अथवा भुगतान पूर्व स्वीकृत सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त समिति द्वारा इस क्रम में यह भी अपेक्षित है कि योजना पर प्रारम्भ से अध्यावधिक प्रदत्त अग्रिम के सापेक्ष कार्यदायी संस्था से समायोजन लेखा/उपयोगिता प्रमाण पत्र/रिकार्ड एवं रनिंग एम0बी0 के साथ साथ योजना का सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा स्वीकृत विस्तृत प्रांकलन तथा समझौता ज्ञापन की शर्तों की पूर्ति के साथ साथ संगत वित्तीय नियमों में अपेक्षित अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति भी सुनिश्चित की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु 04-

वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 16.11.10 में लिए गये निर्णय के क्रम में अनुमोदित 87 पदों के ढांचे के स्थान पर 6 अतिरिक्त वाहन चालकों सहित कुल 99 पदों का पुनरीक्षित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय के स्टॉफिंग पैटर्न के संकलित प्रस्ताव में अधिकारियों/कर्मचारियों सहित 87 पदों का ढांचा तैयार/प्रस्तुत किया गया था जिसमें वाहन चालकों के कुल दो पद आउट सोर्स के माध्यम से भरे जाने का प्रस्ताव सम्मिलित था किन्तु विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में उपलब्ध कुल 7 वाहनों को चलाने हेतु प्रत्येक वाहन के लिए एक वाहन चालक की दर कुल 7 वाहन चालकों के पद आगणित होते हैं तथा मा0 कुलपति महोदय को कार्यालय समय के अलावा अवकाश के समय में भी एक अतिरिक्त वाहन चालक की उनके निवास पर अन्य विश्वविद्यालयों की भांति विश्वविद्यालय सम्बन्धी विशिष्ट कार्यों के दृष्टिगत अपरिहार्य आवश्यकता समय समय होती रहती है। इस प्रकार विश्वविद्यालय को वर्तमान में उपलब्ध वाहनों की संख्या के आधार पर कुल 8 वाहन चालकों के पद सृजित किया जाना अपरिहार्य है। तदनुसार वाहन चालकों के वित्त समिति द्वारा पूर्व अनुमोदित दो पद के अतिरिक्त 6 पदों की स्वीकृति आवश्यक है।

उक्त के साथ साथ पूर्व प्रस्तावित ढांचे में आंशिक संशोधन करते हुये Faculty of Engineering के स्थान पर Faculty of Engineering & Pharmacy स्थापित की गयी है। तदनुसार प्रो०, एसोसिएट प्रो०, एवं असिस्टेंट प्रो० के एक एक पदों के स्थान पर क्रमशः 5,5,5 पदों का ढांचा प्रस्तावित है। इसी प्रकार Faculty of Management & Allied Sciences के पदों में भी आंशिक संशोधन आवश्यकता के अनुरूप अपरिहार्य स्थिति में किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार दोनों संकायों में पूर्व प्रस्तावित और अब पुनरीक्षित पदों सहित कतिपय अन्य पदों में आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि एवं कमी की जानी भी प्रस्तावित है। यह सम्पूर्ण विवरण (संलग्न परिशिष्ट सं० 4) पर अंकित है। इसी परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट करने के निमित्त परिशिष्ट सं० 1, 2, 3 एवं 5 भी अवलोकन हेतु संलग्न हैं। तदनुसार विश्वविद्यालय को पूर्व अनुमोदित 87 पदों के स्थान पर कुल 99 पदों के पुनरीक्षित ढांचे की वर्तमान में आवश्यकता है। अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय:-

✓ विश्वविद्यालय हेतु 87 अतिरिक्त पदों के ढांचे को वित्त समिति द्वारा दिनांक 16.11.10 की बैठक में अनुमोदित कर लिया गया था जिसमें 87 के स्थान पर कुल 99 पदों के पुनरीक्षित ढांचे की आवश्यकता पर भी सहमति बनी थी। इसी क्रम में वित्त समिति द्वारा पूर्व अनुमोदित 87 पदों के ढांचे के स्थान पर कुल 99 पदों का संलग्न प्रस्तावित/पुनरीक्षित ढांचा वित्त समिति द्वारा गहन अध्ययन करते हुये सम्यक विचारोपरान्त यथावत अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु 05-

सुद्धोवाला में आबंटित भूमि पर प्रस्तावित एकेडमिक ब्लॉक के प्रारम्भिक आगणन ₹० 4743.78 लाख पर वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य आरम्भ कराने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 16.11.10 में निर्णित किया गया था कि विश्वविद्यालय के पास बजट की कमी के कारण एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2011-12 में किया जायेगा। चूंकि निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है जिस पर प्रारम्भ से अब तक शासन द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति 2220.52 लाख के सापेक्ष 1950.00 लाख की धनशशि कार्यदायी संस्था को प्रदत्त की जा चुकी है। कार्यदायी संस्था से प्राप्त तत्सम्बन्धी प्रारम्भिक आगणन ₹० 4743.78 लाख

